न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः- अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

... मूल वाद संख्याः- 720/2025 (80/2024)

...एमएस नम्बर :-2025/00986

-: संशोधित उनवान :-

1. भैरू पुत्र श्री नन्दा गुर्जर
2. सुरेश पुत्र श्री जोधराज गुर्जर
3. कल्याण पुत्र श्री माधु गुर्जर
4. मोहन पुत्र श्री माधु गुर्जर
5. काना पुत्र श्री पेमा गुर्जर
6. हजारी पुत्र श्री जयराम गुर्जर
7. बालू पुत्र श्री जयराम गुर्जर
8. फेफी पत्नी श्री छोटू गुर्जर
9. नारायण पुत्र श्री जयराम गुर्जर
10. किशन लाल पुत्र श्री नानू गुर्जर
11. सीताराम पुत्र श्री नानू गुर्जर
12. जगदीश पुत्र श्री नानू गुर्जर
13. उदी पत्नी श्री नानू गुर्जर

समस्त जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी ठगा का खेड़ा. आटूण तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज॰)

----वादीगण

-: बनाम :-

1- देबी पुत्र श्री सूरजमल गुर्जर
2- मांगी लाल पुत्र श्री रतन लाल गुर्जर
3- सरजू पुत्री श्री रतन लाल गुर्जर
4- भूरी पुत्री श्री रतन लाल गुर्जर
5- गंगा पुत्री श्री रतन लाल गुर्जर
6- प्यारी पत्नी श्री रतन लाल गुर्जर
7- नारायण पुत्र श्री घीसा गुर्जर
8- नानू पुत्र श्री बरदा गुर्जर **(मृतक के बजाय कायम मुकाम)-**
    8/1 गेकू पत्नी स्व॰ श्री नानू गुर्जर
    8/2 लक्ष्मण पुत्र स्व॰ श्री नानू गुर्जर

8/3/26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

8/3 भागचन्द पुत्र स्व० श्री नानू गुर्जर
8/4 जगदीश पुत्र स्व० श्री नानू गुर्जर
समस्त आयु वयस्क निवासी ठगा का खेड़ा, आटूण तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)

9- उदय लाल पुत्र श्री भैरू गुर्जर
10- लाडू पत्नी श्री भैरू गुर्जर जाति गुर्जर
11- काली पुत्री श्री शंकर गुर्जर
12- रामू पुत्री श्री शंकर गुर्जर
13- सुखी पुत्री श्री शंकर गुर्जर
14- सुडी पुत्री श्री शंकर गुर्जर
15- लादू लाल पुत्र श्री शंकर गुर्जर
16- बाली बाई पत्नी श्री शंकर गुर्जर
आयु वयस्क आयु वयस्क निवासी-ठगा का खेड़ा, आटूण तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
17- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)
18- उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय, भीलवाडा (राज०)

----प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89 ,92-क, 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता
प्रस्तुतकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7

उपस्थित–
1. श्री पृथ्वीराज चौधरी अभिभाषक वादीगण
2. श्री अमित कोठारी अभिभाषक प्रतिवादी सं0 1 ता 16
3. सरकारी पैरोकार उपस्थित।

-: निर्णय :- दिनांक 18/3/26

1. संक्षिप्त में प्रकरण के सारवान तथ्य इस प्रकार है कि- वादीगण ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 05.04.2024 को इस न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

18/3/26
...कलक्टर
भीलवाड़ा

अन्तर्गत धारा 88, 89, 92-क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया जो रिपोर्ट उपरान्त दिनांक 19.04.2024 को वाद संख्या 80/2024 बउनवानी भैरू वगैरह बनाम देबी वगैरह दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 15.12.2025 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है।

3. प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपने प्रार्थना पत्र में इस आशय का कथन किया कि- वादीगण ने यह वाद विवादित आराजियात के संबंध में हस्तगत वादपत्र खातेदारी की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया हुआ है। लेकिन विवादित आराजियात व अन्य आराजियातों के संबंध में वादीगण व प्रतिवादीगण के मौरूसों के मध्य वक्त सेटलमेंट ही विभाजन हो चुका है और बाद विभाजन खाते भी अलग हो चुके है। इस संबंध में स्वंय वादीगण ने अपने वादपत्र की पैरा संख्या 06 में कथन अंकित किये है । जिसकी जानकारी वादीगण को भी सदैव से रही है। ऐसी हालत में वादीगण द्वारा उक्त विभाजन को निरस्त कराये बिना हस्तगत वादपत्र अनाधिकार ही बार्ड बाई लॉ प्रस्तुत किया है, जो कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है।

यहाँ यह लिखना भी प्रासंगिक है कि विवादित आराजियात व अन्य आराजियातों के संबंध में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन हुये को अर्सा करीबन 55 वर्षों का गुजर चुका है और उक्त विभाजन उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण के हक हिस्से में आई आराजियातों में विरासत के आधार पर आगे नामान्तरण भी दर्ज हो चुके है, जिसकी जानकारी वादीगण को सदैव से होते हुये भी वादीगण ने हस्तगत वादपत्र काफी देरीना अब निराधार पेश किया है, जो जाहिरा बेरून मियाद होने से कानूनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है।

विवादित आराजियात वादीगण को जरिये विभाजन प्राप्त हुई है जिससे विवादित आयजियात प्रतिवादीगण की स्वअर्जित सम्पति हो गई है। इस आधार पर भी हस्तगत वादपत्र में वादीगण कोई किसी प्रकार से हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। जिस अनुसार अब वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई वाद हेतुक उत्पन्न न होने से वादीगण का वादपत्र वाद हेतुक अभाव में कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है।

वादीगण का वादपत्र प्रथम दृष्टया ही बार्ड बाई लॉ, बेरून मियाद होने से व कोई वाद हेतुक उत्पन्न न होने से इसी स्तर पर खारिज फरमाया जाना न्यायाहित में आवश्यक है जिससे न्यायालय का अमूल्य समय जाया न हो तथा पक्षकारों को भी अनावश्यक वाद विवाद में न

3/26
उपखंड कलक्टर
भीलवाड़ा

उलझना पड़े। इस कारण वादीगण का वादपत्र प्रारम्भिक स्टेज पर खारिज फरमाया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावें।

4. वादीगण ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 09.01.2026 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का जवाब पेश किया जो शामिल मिसल है।

वादीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में इस आशय का कथन किया कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 जिस प्रकार लिखी गयी है, गलत होकर अस्वीकार है। सेटलमेन्ट विभाग को विभाजन करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसका उल्लेख वादपत्र की कलम संख्या 07 में है, इसलिए वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। प्रतिवादीगण ने मात्र प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है।

प्रार्थनापत्र की चरण सख्या 02 जिस प्रकार लिखी गयी है, गलत होकर अस्वीकार है। सेटलमेन्ट विमाग को कानूनन बंटवाड़ा करने का अधिकार नहीं है। इसलिए सेटलमेन्ट विभाग के अवैध आदेश से जो नामान्तरणकरण दर्ज सभी अवैध है, अवैध नामान्तरणकरण से किसी को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 02 जिस प्रकार लिखी गयी है, गलत होकर अस्वीकार है। सेटलमेन्ट विभाग को बंटवाडा करने का अधिकार नहीं है। इसलिए कानूनन विभाजन का उक्त आदेश अवैध है। इसलिए स्वअर्जित नहीं है।

प्रार्थनापत्र की चरण सख्या 04 गलत होकर अस्वीकार है। वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिनाय वाद उत्पन्न हुआ है, जो वादपत्र की कलम संख्या 05 में वर्णित है।

जिस दस्तावेज के आधार पर वाद पेश किया गया है, वह दस्तावेज दो पक्षो का दो परिवार का समझौता है न कि करार है। समझौते के आधार पर 67 प्रतिशत हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 का व 33 प्रतिशत हिस्सा वादी के नाम दर्ज करना है, जो आदेश राजस्व न्यायालय ही दे सकता है। प्रकरण हिस्से अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा का है, जो केवल मात्र राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है।

प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 02 गलत होकर अस्वीकार है। समझौता पत्र में अंकित हिस्से अनुसार नाम पर नहीं कराने पर उपयोग उपभोग ने बाधा डालने व समझौता नामा निष्पादन की दिनांक 13/02/2023 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

अंत में प्रार्थना दर्ज की है, जो गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र खारीज होने योग्य है।

मामले में प्रतिवादी द्वारा कोई शपथपत्र पेश नहीं किया है, जिसके अभाव में प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं होने से खारीज होने योग्य है।

प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में उठाए बिन्दु अपने जवाबदावे में उठा सकते है। जिससे प्रत्येक बिन्दु पर तनकी कायम कर साक्ष्य लिवाया जाकर विधिक निर्णय पारित होगा।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र सव्यय खारीज फरमाया जायें।

5. वादीगण की ओर से दिनांक 11.02.2026 को धारा 151 सी0पी0सी0 पेश किया गया जो शामिल मिसल है।

6. वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 में इस आशय का कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 द्वारा आदेश 07 नियम 11 जा०दी० का प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जिसका जवाब वादीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थनापत्र में कुल 4 कलमे है, जिसका जवाब में कलमवार जवाब दिया गया, लेकिन जवाब की कलम संख्या 05 एवं 06 जो कि अन्य जवाब का कम्प्यूटर में कट कॉपी पेस्ट से सेहवन से रह गया है, जो कि उक्त प्रकरण से संबधित नहीं है। इस कारण से जवाब की कलम संख्या 05 एवं 06 को लाल स्याही से हटायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। जिससे प्रकरण की प्रकृति नहीं बदलेगी।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर आदेश 07 नियम 11 जा०दी० के वादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब की कलम संख्या 05 एवं 06 को लाल स्याही से हटायी जाने का आदेश प्रदान करावें।

7. प्रतिवादीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब पेश न करके सीधी बहस करने हेतु निवेदन किया।

8. उभय पक्षकारान् की बहस सुनकर आदेश दिनांक 11.02.2026 पारित फरमाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 की मद संख्या5 व 6 को विलोपित किया गया।

9. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 पर उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

10. विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वादीगण का दावा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 से बाधित/प्रभावित है, इत्यादि तर्कों के आधार पर वादीगण का दावा अस्वीकार कर खारिज करने हेतु निवेदन किया।

18/3/26

कलक्टर
भीलवाड़ा

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये, जिनका सम्मापूर्वक अवलोकन किया गया-

न्यायिक दृष्टान्त- 2021(1) आर.आर.टी. पेज 535 अपील डिक्री टीए नम्बर 4206/2018 केदारमल शर्मा व अन्य बनाम जगदीश व अन्य निर्णीत दिनांक 12.01.2021 में माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश 7, नियम 11- राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955-धारा 88, 188, 183- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956-धारा 136- विवादित भूमि का खातेदार घोषित करने, इन्द्राज दुरूस्ती और कब्जा प्राप्ति हेतु वाद पेश किया- आदेश 7, नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अर्न्तगत वाद खारिज किया- अपील खारिज की- तर्क कि विवादित आराजी वादी के पूर्वजों के नाम दर्ज थी और गलत तौर पर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की- 1955 के पूर्व या 1955 के बाद का दस्तावेज पेश नहीं किया, वाद पत्र से वादकारण कब उत्पन्न हुआ, स्पष्ट नहीं किया- मिथ्या वादकारण पर वाद पेश किया- धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अर्न्तगत वाद खारिज किया जा सकता है यदि वह न्यायालय प्रक्रिया का दुरूपयोग की मंशा से पेश किया हो-निर्णीत, निर्णयों में क्षेत्राधिकारिता की त्रुटि नहीं है व यथावत् रखे।

Imp. Point- Suit can be dismissed even under Section 151 Code of Civil procedure, if filed with the intention of an abuse of process of the Court.

न्यायिक दृष्टान्त- आर.एल.डब्ल्यु. 2015(1) राजस्थान पेज 189 (हाईकोर्ट) एस0बी0 सिविल रिट पिटिशन नम्बर 4850/2010 मांगीलाल (मृतक) के वारिसान जगदीशनारायण व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यु व अन्य निर्णीत दिनांक 09.02.2015 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश 7 नियम 11 सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, धारा 88, 188 एंव 135- घोषणा, विभाजन एंव कब्जे हेतु वाद- नामान्तरकरण प्रतिवादीगण के पक्ष में था-40 वर्ष बाद वाद दायर किया- अभिनिर्धारित- वादी द्वारा दायर वाद बिना किसी सारभूत वादहेतुक के, स्थूल रूप से विलम्बित और स्पष्ट रूप से तंग करने वाला और तुच्छ होने के कारण आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज किये जाने योग्य है।

न्यायिक दृष्टान्त 2020 आर.बी.जे.(27) पेज 684 एस.बी. सिविल रिविजन पिटिशन नम्बर 181/2018 बालमुकुन्द भाटिया व अन्य बनाम ललित उपाध्याय शास्त्री व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि CIVIL PROCEDURE CODE 1908- Order 7 Rule 11 & Section 151-Vexatious plaint can be rejected under Section 151. [सिविल प्रक्रिया संहिता 1908-

18/3/26

आदेश 7 नियम 11 व धारा 151- परिक्लेशकर वाद पत्र धारा 151 के तहत खारिज किये जा सकते हैं।] So far as the attempt made by the learned counsel for the petitioners seeking to raise plea of the suit in question being vexatious and requiring the Court to invoke powers under Section 151 CPC for rejecting the plaint is concerned, having gone through the entire facts of the case as presented by learned counsel for the petitioners, it cannot be said that merely because in the previous pending litigation between the parties, the injunction though granted to the Bal Mukund Bhatia V/s Lalit Upadhyay Shastri petitioner, has been set aside/stayed by this Court, the subsequent suit would be vexatious. Therefore, the plea raised in this regard also apparently has no substance. Revision dismissed.

न्यायिक दृष्टान्त डी.एन.जे. 2017 (1) पेज 1 अनन्तपाल बनाम सुमेरसिंह में माननीय राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 पर सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि शीर्षक प्रकरण में तथ्य एवं विधि का कोई प्रश्न समाहित नहीं है इसलिये वादीगण **का वाद तुच्छ एवं परेशान करने वाला है।** इस प्रकार के वाद को प्रारम्भ से ही दबा देना चाहिये।

न्यायिक दृष्टान्त 2011(3) डीएनजे (राज0) पेज 1376 एस.बी. सिविल रिविजन पिटिशन नम्बर 58/2011 पार्श्वनाथ जैन मन्दिर ट्रस्ट बनाम अवतारसिंह निर्णय दिनांक 14.10.2011 में माननीय राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि सिविल प्रक्रिया संहित, 1908- आदेश 7 नियम 11- शक्तियो का उपयोग- विचारण के समाप्त होने के पूर्व किसी भी स्तर पर शक्तियो का उपयोग किया जा सकता है।

न्यायिक दृष्टान्त 2012 डीएनजे (एस.सी.) पेज 734 सिविल अपील नम्बर 4841/2012 (अराईजिंग आउट ऑफ एसएलपी (सी) नम्बर 30632/2011) चर्च ऑफ चेरिस्ट चेरिटेबल ट्रस्ट एण्ड एज्युकेशनल चोरिटेबल सोसायटी बनाम मैसर्स पूनिमन एज्युकेशनल ट्रस्ट निर्णय दिनांक 03.07.2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि (B) Civil Procedure Code, 1908- O-7, R-11- **Imp. Point-**(A) Power for rejection of the plaint can be exercised at any stage of the suit.

न्यायिक दृष्टान्त सी.जे. (सिविल) (एस.सी.) 2016(3) पेज 762 आर.के.रोजा बनाम यु.एस. राइडू व अन्य में माननीय सुप्रिम कोर्ट द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि- वाद के विचारण से पूर्व आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहिये। आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र सुनवाई के किसी भी प्रक्रम पर पेश किया जा सकता है। एक बार जब आवेदन पेश कर दिया जाता है तो न्यायालय को विचारण की

18/3/26

न्यायिक कलक्टर

कार्यवाही करने से पहले इसका निस्तारण करना चाहिये। आवेदन का निस्तारण किये बिना न्यायालय द्वारा विचारण की कार्यवाही नहीं की जा सकती एंव यदि मामले में सम्पूर्ण वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 "ए से एफ" सिविल प्रक्रिया संहिता की परिस्थितियो में आवरित होता है तो उस वाद को खारिज कर देना चाहिये।

11. विद्वान अभिभाषक वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के विद्वान अभिभाषक के तर्को का पुरजौर विरोध करते हुए अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रतिवादीगण का उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के स्कॉप व परिधी के अन्तर्गत नहीं आता है, इत्यादि तर्को के आधार पर प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज करने हेतु निवेदन किया।

12. हमने बहस पर चिन्तन, मनन व विचार किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का निर्णीत करने के लिए वादीगण के वाद पत्र में वर्णित प्रकथनो को देखा जाना/विचार किये जाने की विधिक एवं न्यायिक मंशा है।

वादीगण ने दावा बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92-क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत किया है तथा अपने वाद पत्र में इस आशय का कथन किया कि- वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 10 दस व इनके परिवार का पारीवारिक सजरा जो कि वादपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ठ "अ" मे वर्णित है। जो वादपत्र का अभिन्न अंग है। उक्त सजरे अनुसार वादीगण जो धूकल पुत्र श्री हीरा गुर्जर के वारीसान है व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 जो कि गोपी पुत्र श्री हीरा गुर्जर के वारीसान है।

सरहद आटूण पटवार हल्का आटूण भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटूण तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०) मे आराजी नबर 756 सात सौ छप्पन रकबा 0.7208 हैक्टयर, आराजी नम्बर 757 सात सौ सतावन रकबा 1.2392 हैक्टयर, आराजी नम्बर 758 सात सौ अठावन रकबा 0.3667 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 दस के नाम पर दर्ज है। उक्त आराजियात को वाद मे वादग्रस्त आराजियात के नाम से संबोधित किया जायेगा।

वादपत्र की चरण संख्या 02 दो में वर्णित आराजी के साबिक आराजी नम्बर 664 छह सौ चौसठ रकबा 21 बीघा 08 बिस्वा थे, जो कि राजस्व रेकार्ड जमाबंदी 2009 से 2012 में रामा, धूकल, गोपी पिता हीरा 3/4, माना, चुना पिता जीवा 1/4 हक हिस्सा दर्ज है। यानि वादीगण के पूर्वज धूकल पुत्र श्री हीरा का 1/4 हक हिस्सा निहित है।

18/3/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उक्त जमाबंदी अनुसार धूकल जी 1/4 हक हिस्से यानि 05 बीघा 07 बिस्वा आती है, इसी हक हिस्से अनुसार ही मौके पर धूकल जी काबिज थे व उनके देहान्त उपरान्त वादीगण काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है व आज भी वादीगण का ही 05 बीघा 07 सात बिस्वा भूमि पर निर्बाध रूप से आमजन व पक्षकारों की जानकारी में कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है।

हाल ही में दिनांक 20 बीस फरवरी 2024 दो हजार चौबीस को प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 10 दस द्वारा वादीगण को वादग्रस्त आराजियात से जबरन बेदखल करने की कोशिश की, इस पर वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को कहा कि उक्त जमीन हमारी पुश्तैनी है, हम अपने हक हिस्से पर काबिज है, इस पर प्रतिवादीगण द्वारा कहा कि जमीन हमारे नाम पर अधिक दर्ज है, इस कारण से तुम्हे बेदखल करके रहेगे व आराजियात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण करके रहेगे।

इस पर वादीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तो वादीगण को जानकारी में आया कि साबिक आराजी नम्बर 664 रकबा 21 बीघा 08 बिस्वा में वादीगण के पूर्वज धूकल पुत्र श्री हीरा जी का 1/4 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 16 के पूर्वज गोपी पुत्र श्री हीरा जी का 1/4 हक हिस्सा यानि समान हक हिस्सा दर्ज था, लेकिन दौराने सेटलमेन्ट राजस्व कर्मचारीयो द्वारा मनमकसूद तरीके से बटवाड़ा कर वादीगण के हक हिस्से में उक्त साबिक आराजी नम्बर 664 के नवीन आराजी नम्बर कायम किये गये, जिसमे आराजी नम्बर 755 रकबा 0.5184 हेक्टयर यानि 02 बीघा व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 16 के पूर्वज के हक हिस्से में वादग्रस्त आराजियात आराजी नबर 756 सात सौ छप्पन रकबा 0.7208 हैक्टयर, आराजी नम्बर 757 सात सौ सतावन रकबा 1.2392 हैक्टयर, आराजी नम्बर 758 सात सौ अठावन रकबा 0.3667 हैक्टयर कुल किता 03 रकबा 2.3267 हैक्टयर यानि 09 बीघा 04 बिस्वा रखी गयी व रामा पुत्र श्री हीरा के वारीसान के नाम पर आराजी नम्बर 751, 753 कुल किता 02 रकबा 1.1001 हैक्टयर (04 बीघा 07 बिस्वा) मगना व चुना पुत्र श्री जीवा के हिस्से में आराजी नम्बर 752, 754 कुल किता 2 रकबा 1.176 हैक्टयर (04 बीघा 13 बिस्वा) भूमि रखी गयी इस प्रकार वादीगण के हक हिस्से की 03 बीघा 01 बिस्वा भूमि राजस्व कर्मचारीयो द्वारा लापरवाही पूर्वक प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 दस के नाम पर दर्ज विवादग्रस्त आराजी नबर 756 सात सौ छप्पन रकबा 0.7208 हैक्टयर, आराजी नम्बर 757 सात सौ सतावन रकबा 1.2392 हैक्टयर, आराजी नम्बर 758 सात सौ

18/3/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अठावन रकबा 0.3667 हैक्टयर मे रकबा बढाकर रखा गया है, जो गलत है। वादीगण वादग्रस्त आराजियात के राजस्व रेकार्ड से 03 बीघा 01 बिस्वा भूमि कम करा अपने नाम पर दर्ज कराने व खातेदार काश्तकार घौषित होने के अधिकारी है।

सेटलमेन्ट कर्मचारीयो व अधिकारीयो को हक हिस्से से अधिक भूमि दर्ज करने व बटवाड़ा करने का अधिकार नहीं था व केवल मात्रपुरानी पृविष्टीयों को नवीन पृविष्टीयों में दर्ज करने का अधिकार था, बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के व बिना किसी विधिक दस्तावेज के उक्त गलत इन्द्राज किया गया है, जो दुरूस्त होने योग्य है।

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को गलत इन्द्राज की जानकारी होने के बाद प्रतिवादीगण को वादीगण के हक हिस्से की भूमि वादीगण के नाम पर दर्ज कराने हेतु कहने पर प्रतिवादीगण बार बार चक्कर देते चले आ रहे है व दिनांक 20 बीस मार्च 2024 दो हजार चौबीस को कहने पर साफ तौर इंकार कर दिया व जमीन से वादीगण को बेदखल करने व अन्य को रहन, विकय, हस्तांतरण करने की धमकी दी। इस कारण से वादीगण को यह वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एव स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से यह वादपत्र पेश करने की नोबत पेश आयी है।

यदि प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 10 दस वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात सरहद आटूण पटवार हल्का आटूण भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटूण तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) में आराजी नबर 756 सात सौ छप्पन रकबा 0.7208 हैक्टयर, आराजी नम्बर 757 सात सो सतावन रकबा 1.2392 हैक्टयर, आराजी नम्बर 758 सात सौ अठावन रकबा 0.3667 हैक्टयर से 03 बीघा 01 बिस्वा से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल कर देगे व प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 10 दस के नाम पर उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड में अकन होने उक्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण / खुर्द बुर्द कर देगे तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी व वादीगण अपनी पैतृक आराजियात से वंचित हो जायेगा। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नही होगा। इस कारण से वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि प्रतिवादीगण वादीगण को वादग्रस्त आराजियात सरहद आटूण पटवार हल्का आटूण भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटूण तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०) मे

18/3/26

आराजी नबर 756 सात सौ छप्पन रकबा 0.7208 हेक्टयर, आराजी नम्बर 757 सात सौ सतावन रकबा 1.2392 हैक्टयर, आराजी नम्बर 758 सात सौ अठावन रकबा 0.3667 हैक्टयर से 03 बीघा 01 बिस्वा से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे व न ही किसी अन्य से करावे च वादीगण को शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे व किसी प्रकार का व्यवधान आदि पैदा नहीं करे व न ही किसी अन्य से करावें।

सरहद आटूण पटवार हल्का आटूण भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटूण तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०) में आराजी नबर 756 सात सौ छप्पन रकबा 0.7208 हैक्टयर, आराजी नम्बर 757 सात सौ सतावन रकबा 1.2392 हैक्टयर, आराजी नम्बर 758 सात सौ अठावन रकबा 0.3667 हैक्टयर भूमि में राजस्व कर्मचारीयो वादीगण के हक हिस्से की 03 बीघा 01 बिस्वा भूमि गलत तौर पर दर्ज की है, वादीगण राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती करा वादग्रस्त आराजियात में 03 बीघा 01 बिस्वा भूमि कम करा वादीगण अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने के अधिकारी है तदनुसार घौषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 10 दस सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिनाय वाद दिनांक 20 फरवरी 2024 एवं 20 बीस मार्च 2024 दो हजार चौबीस से उत्पन्न होकर निरन्तर रूप से जारी है।

उक्त मामले में प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 12 राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है और कानूनन राज्य सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व उन्हे धारा 80 जा०दी० के तहत 2 माह की समयावधि का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का है और वादीगण नोटिस देकर समयावधि व्यतीत होने तक इंतजार करेंगे तो इससे पूर्व ही प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 10 वादग्रस्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन् विकय, हस्तांतरण / खुर्द बुर्द कर देगा व वादी को बेदखल कर देगा तो चादीगण का वाद पेश करना ही निरर्थक हो जायेगा। ऐसी सूरत में बिना नोटिस दिये ही वादपत्र पेश है तथा धारा 80(2) जा०दी० का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है।

वादपत्र अन्दर अवधि पेश है। वादपत्र वांछित न्याय शुल्क पर पेश है। वादग्रस्त आराजी सरहद आटूण तहसील एवं जिला भीलवाड़ा की सीमाक्षेत्र में स्थित होने से यह वादपत्र आप न्यायालय के क्षेत्र एवं

18/3/24

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

...धिकार का होने से आप न्यायालय के समक्ष पेश है। वादपत्र नियमानुसार दो प्रतियो में पेश है। वादपत्र की ताईद ने वादी का शपथपत्र पेश है। प्रतिवादीगण को सूचनार्थ सम्मन प्रोसेस नकल वादपत्र साथ मे पेश है।

अतः वादीगण सादर प्रार्थना करते है कि-

(अ) कि सरहद आटूण पटवार हल्का आटूण भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटूण तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०) मे आराजी नवर 756 सातसौ छप्पन रकबा 0.7208 हैक्टयर, आराजी नम्बर 757 सात सौ सतावन रकबा 1.2392 हेक्टयर, आराजी नम्बर 758 सात सौ अठावन रकबा 0.3667 हैक्टयर भूमि मैं राजस्व कर्मचारीयो वादीगण के हक हिस्से की 03 बीघा 01 बिस्वा भूमि गलत तौर पर दर्ज की है, वादीगण राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करा वादग्रस्त आराजियात में 03 बीघा 01 बिस्वा भूमि कम करा वादीगण अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने के अधिकारी है, तदनुसार घौषणात्मक डिकी बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 10 दस सादिर फरमायी जावें।

(ब) कि बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमायी जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण को वादग्रस्त आराजियात सरहद आटूण पटवार हल्का आटूण भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटूण तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०) मे आराजी नबर 756 सात सौ छप्पन रकबा 0.7208 हैक्टयर, आराजी नम्बर 757 सात सौ सतावन रकबा 1.2392 हैक्टयर, आराजी नम्बर 758 सात सौ अठावन रकबा 0.3667 हैक्टयर से 03 बीघा 01 बिस्वा से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करे व न ही किसी अन्य से करावे व वादीगण को शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे व किसी प्रकार का व्यवधान आदि पैदा नहीं करे व न ही किसी अन्य से करावें।

(स) कि हर्जा खर्चा मुकदमा मय महनताना वकील वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

(द) कि अन्य जो भी अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण के पक्ष मे दिलाना उचित समझे दिलाया जावे।

वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण ने अपने वादर पत्र की मद संख्या 6 में विवादित भूमि का विभाजन दोराने सैट्लमेण्ट होना स्वीकार किया है तथा विभाजन के आधार पर खाता, खातेदारी, लगान, नक्शे इत्यादि पृथक-पृथक रूप से दर्ज होकर राजस्व रिकार्ड

18/3/24
...क कलक्टर
भीलवाडा

में अंकन होना स्वीकार किया है। कानूनन एकबार जब अभिलेखो में विभाजन होकर खाते, खातेदारी, लगान व नक्शे पृथक-पृथक कायम होकर अंकन हो चुका है तो फिर ऐसी स्थिति में विभाजन के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 89, 92-क, 188 के तहत वाद दायर नहीं किया जा सकता। सक्षम भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा यदि अपनी क्षेत्राधिकारिता से बाहर जाकर विभाजन किया है तो उसके विरूद्ध सक्षम अपर न्यायालय में अपील/रिविजन की जा सकती है। इस आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बार्ड बाई लॉ (विधि वर्जित) है।

वादपत्र में वर्णित अभिकथनो के आधार पर यह स्वीकृत स्थिति है कि वादीगण के हकपूर्वाधिकारियो द्वारा अपनी आपसी सहमति से सैटलमेण्ट के दौरान विभाजन करवाया गया है और अर्सा लगभग से खाते, खातेदारी, लगान व नक्शे पृथक-पृथक रूप से दर्ज रिकार्ड चले आ रहे है। ऐसी स्थिति में वादीगण को वाद पत्र की मद संख्या 11 में वर्णित दिनांक 20.02.2024 व 20.03.2024 के आधार पर इस न्यायालय के समक्ष धारा 88, 89, 92-क, 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद लाने का कोई वादकारण उत्पन्न होना नहीं माना जा सकता क्योंकि उक्त विभाजन के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष वाद दायर नहीं किया जा सकता अपितु सक्षम अपर न्यायालय के समक्ष अपील पेश की जा सकती है। वादीगण के वाद पत्र में विधि एवं तथ्यो के प्रश्न समाहित नहीं है।

वादीगण स्वयं द्वारा स्वीकृत स्थिति के अनुसार वादीगण के हकपूर्वाधिकारियो के मध्य सैटलमेण्ट के दौरान् विवादित भूमि का विभाजन किया गया है। जमाबन्दी संवत् 2009 से 2012 के पश्चात की जमाबन्दियो में खाते, खातेदारी, लगान व नक्शे पृथक-पृथक रूप से दर्ज रिकार्ड चले आ रहें है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के समक्ष घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद लाने के लिए वादीगण को वादहेतुक उत्पन्न होना नहीं माना जा सकता। वादीगण का दावा वादहेतुक के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वादीगण के सम्पूर्ण वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण ने अपने वाद पत्र में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये विभाजन को चुनौती दी गई है। विभाजन को चुनौती इस न्यायालय के समक्ष नहीं दी जा सकती। विभाजन के विरूद्ध सक्षम अपर न्यायालय के समक्ष अपील की जा सकती है। इस प्रकार वादीगण का दावा क्षेत्राधिकार विहिन होने के आधार पर भी अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

निष्कर्षतः प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण वादहेतुक के अभाव में तथा क्षेत्राधिकार विहिन होने के कारण व्यवहार

प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत विधि वर्जित होने के आधार पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पक्षकारान् खर्चा मुकदमा अपना-अपना वहन करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/3/24 --को सरे इजलास में सुनाया गया।

18/3/24

अरूण कुमार जैन
अतिरिक्त कलक्टर
भीलवाड़ा
सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः- अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्याः- 720/2025 (80/2024)
आरसीएमएस नम्बर :-2025/00986

-: संशोधित उनवान :-

1- भैरू पुत्र श्री नन्दा गुर्जर
2- सुरेश पुत्र श्री जोधराज गुर्जर
3- कल्याण पुत्र श्री माधु गुर्जर
4- मोहन पुत्र श्री माधु गुर्जर
5- काना पुत्र श्री पेमा गुर्जर
6- हजारी पुत्र श्री जयराम गुर्जर
7- बालू पुत्र श्री जयराम गुर्जर
8- फेफी पत्नी श्री छोटू गुर्जर
9- नारायण पुत्र श्री जयराम गुर्जर
10- किशन लाल पुत्र श्री नानू गुर्जर
11- सीताराम पुत्र श्री नानू गुर्जर
12- जगदीश पुत्र श्री नानू गुर्जर
13- उदी पत्नी श्री नानू गुर्जर

समस्त जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी ठगा का खेड़ा. आटूण तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)

----वादीगण

-: बनाम :-

1- देबी पुत्र श्री सूरजमल गुर्जर
2- मांगी लाल पुत्र श्री रतन लाल गुर्जर
3- सरजू पुत्री श्री रतन लाल गुर्जर
4- भूरी पुत्री श्री रतन लाल गुर्जर
5- गंगा पुत्री श्री रतन लाल गुर्जर
6- प्यारी पत्नी श्री रतन लाल गुर्जर
7- नारायण पुत्र श्री घीसा गुर्जर

18/3/26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

8- नानू पुत्र श्री बरदा गुर्जर (मृतक के बजाय कायम मुकाम)-
8/1 गोकू पत्नी स्व० श्री नानू गुर्जर
8/2 लक्ष्मण पुत्र स्व० श्री नानू गुर्जर
8/3 भागचन्द पुत्र स्व० श्री नानू गुर्जर
8/4 जगदीश पुत्र स्व० श्री नानू गुर्जर
समस्त आयु वयस्क निवासी ठगा का खेड़ा, आटूण तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)

9- उदय लाल पुत्र श्री भैरू गुर्जर
10- लाडू पत्नी श्री भैरू गुर्जर जाति गुर्जर
11- काली पुत्री श्री शंकर गुर्जर
12- रामू पुत्री श्री शंकर गुर्जर
13- सुखी पुत्री श्री शंकर गुर्जर
14- सुडी पुत्री श्री शंकर गुर्जर
15- लादू लाल पुत्र श्री शंकर गुर्जर
16- बाली बाई पत्नी श्री शंकर गुर्जर
आयु वयस्क आयु वयस्क निवासी-ठगा का खेड़ा, आटूण तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
17- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)
18- उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय, भीलवाडा (राज०)

----प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89 ,92-क, 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता
प्रस्तुतकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कत्तई रूबरू दावा व हाजिरी ------ मिनजानिब मुद्धई रूबरू ---------- मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

निर्णय में वर्णितानुसार विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

18/3/26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण वादहेतुक के अभाव में तथा क्षेत्राधिकार विहिन होने के कारण आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पक्षकारान् खर्चा मुकदमा अपना-अपना वहन करे।

निज------ मुबलिग------- बाबत् ------- खर्चा इस मुकदमा के मय सूद बशरह------फीसदी सालाना/आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ---------- को अदा करे।

तब मेरे दस्तखत मुहर अदालत के आज दिनांक 18/3/24 को जारी की गई।

मुहर
ओहदा

18/3/24

अरूण कुमार जैन
[redacted]
सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

मुद्धई	रूपया	पैसे	मुद्धायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	—	—	स्टाम्प अर्जीदावा	—	—
स्टाम्प वकालतनामा	—	—	स्टाम्प वकालतनामा	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	स्टाम्प वजह सबूत	—	—
महनताना वकील	—	—	महनताना वकील	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
फीस कमिशनर बाबत् इजराय	—	—	फीस कमिशनर बाबत् इजराय	—	—
हुक्मनामा	—	—	हुक्मनामा	—	—
मुतफरिक	—	—	मुतफरिक	—	—
मीजान	—	—	मीजान	—	—

मुहर

18/3/24

अरूण कुमार जैन
[redacted]
सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा